

फर्द अहकाम

दालय

राजेश

बनाम

विस्तृ धातना

दमा संख्या / वर्ष

२२/२०२५

२०२५/५२/२०

विशेष विवरण

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

मार्गदर्श

पत्रावली केच की वकील फार्मा/वादी
 उक्त पत्रावली केच को गानेट से मुक्ति
 रिपोर्ट प्राप्त शामिल निम्न है वरुण मुक्ति
 रिपोर्ट को गानेट वादी का वरुण मुक्ति
 मुक्ति रिपोर्ट को गानेट रूप से रिपोर्ट
 निम्न जाता है निम्न निम्न वरुण
 फार्मा से निम्नवादी जाकर मुक्ति
 पत्रावली निम्नवादी पत्रावली को गानेट
 मुक्ति रिपोर्ट को गानेट से रिपोर्ट
 रिपोर्ट को गानेट रिपोर्ट को गानेट

उपखण्ड अधिकारी
 जयपुर द्वितीय (शासन)

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ. 20 रूल 6-7 जाका दीवानी)

दीवानी अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.एस.
घाट संख्या : 22/2024
निर्णय दिनांक : 17.05.2024

राजेश कुमार मीना पुत्र नेपाल मीना, जाति मीना, निवासी शिव सागर कॉलोनी, वी.आई.
टी कॉलेज ग्राम मेडला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर। वादी

बनाम

- बिहू धानका पुत्री मुकेश धानका, उम्र 16 वर्ष, जाति धानका, नाबालिग जरिए वादार्य संरक्षक माता श्रीमति मीरा देवी पत्नी मुकेश धानका, जाति धानका, निवासी ग्राम श्रीरामपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
- हनुमान पुत्र छोटूराम, जाति धानका, निवासी ग्राम श्रीरामपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जी, तहसील कार्यालय सांगानेर, जिला जयपुर। प्रतिवादीगण

वाद बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
निर्णय

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरु उपखण्ड अधिकारी, सांगानेर द्वितीय जयपुर व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुदई रूबरु वकील प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाके ग्राम श्रीरामपुरा, पटवार हल्का लाखना, भूअभि.नि.क्षेत्र मुहाना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 910 क्षेत्रफल 0.0500 हैक्टेयर, खसरा नंबर 911 क्षेत्रफल 0.7800 हैक्टेयर, खसरा नंबर 987 क्षेत्रफल 0.6300 हैक्टेयर, खसरा नंबर 988 क्षेत्रफल 0.5700 हैक्टेयर व खसरा नंबर 989 क्षेत्रफल 0.1700 हैक्टेयर, कुल खसरा 5 कुल क्षेत्रफल 2.2000 हैक्टेयर का तकासमा मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट अनुसार निम्न प्रकार किया जाता है:-

राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार इन्द्राज

क्र. सं.	खाता संख्या	खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1	128	राजेश कुमार पुत्र नेपाल मीना हि.	910	0.0500	बारानी1	
		695/756 जाति मीना निवासी	911	0.7800	बारानी1	
		शिव सागर कॉलोनी, वी.आई.टी.	987	0.6300	बारानी1	
		कॉलेज ग्राम मेण्डला सिस्यावास,	988	0.5700	बारानी1	
		जयपुर खातेदार, नाबालिक बिहू	989	0.1700	बारानी1	
		कुल कित	05	2.200	16.520	

क्र. सं.	किस्म	प्रस्तावित खातेदार	प्रस्तावित कुरेजात इन्द्राज			
			खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा	लगा न	रंग
1.	बारानी1	राजेश कुमार पुत्र नेपाल मीना हि.	910	0.0500		
	बारानी1	पूर्ण जाति मीना निवासी शिव	911/मि	0.6025		
	बारानी1	सागर कॉलोनी, बी.आई.टी.	987	0.6300		
	बारानी1	कॉलेज ग्राम मेण्डला सिस्वावास,	988	0.5700		
	बारानी1	जयपुर खातेदार	989	0.1700		
		कुल किता	05	2.0225		
2.	बारानी1	नाबालिक बिट्टू पुत्री मुकेश	911/मि	0.0204		
		संरक्षक सरपरस्त माता खुद हि. पूर्ण जाति धानका सा.देह खातेदार				
		कुल किता	1	0.0204		
3.	बारानी1	हनुमान पुत्र छोटूराम हि. पूर्ण	911/मि	0.1571		
		जाति धानका सा.देह खातेदार				
		कुल किता	1	0.1571		

तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्तानुसार विवादग्रस्त आराजी का तकासमा मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग-अलग खाता व लगान कायम किये तथा कुरेजात रिपोर्ट व नक्शे की प्रति बाद अनुमोदन उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाने हेतु तहसीलदार सांगानेर को भिजवाई जावे।

खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकका अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17.05.2024 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत

ओहदा

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	1	00	स्टाम्प अर्जी दावा	1	00
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
		मीजान			मीजान

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दी फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सा.देह)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर-द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिमन्त सिंह, आर.ए.एस.

वाद संख्या : 22/2024

निर्णय दिनांक : 17.05.2024

1. राजेश कुमार मीना पुत्र नेपाल मीना, जाति मीना, निवासी शिव सागर कॉलोनी, वी.आई.टी. कॉलेज, ग्राम मेंदला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. बिहू धानका पुत्री मुकेश धानका, उम्र 16 वर्ष, जाति धानका, नाबालिग जरिए वादार्थ संरक्षक माता श्रीमति मीरा देवी पत्नी मुकेश धानका, जाति धानका, निवासी ग्राम श्रीरामपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. हनुमान पुत्र छोटूराम, जाति धानका, निवासी ग्राम श्रीरामपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जी, तहसील कार्यालय सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
निर्णय

वादी ने वाद पत्र बाबत तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया। न्यायालय द्वारा वादीगण के वाद में दिनांक 27.03.2024 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार तहसील सांगानेर को निर्देशित किया गया कि ग्राम श्रीरामपुरा, पटवार हल्का लाखना, भू.अभि.नि.क्षेत्र मुहाना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 910 क्षेत्रफल 0.0500 हैक्टेयर, खसरा नंबर 911 क्षेत्रफल 0.7800 हैक्टेयर, खसरा नंबर 987 क्षेत्रफल 0.6300 हैक्टेयर, खसरा नंबर 988 क्षेत्रफल 0.5700 हैक्टेयर व खसरा नंबर 989 क्षेत्रफल 0.1700 हैक्टेयर, कुल खसरा 5 कुल क्षेत्रफल 2.2000 हैक्टेयर का तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि वादी एवं समस्त प्रतिवादीगण की उपस्थिति में भूमि का राजस्व रिकार्ड एवं कब्जानुसार तकासमा किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण का हक व हिस्सा एवं भूमि का लगान अलग से कायम किया जावे तथा खाता अलग से कायम किया जाकर कुरेजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन-तीन प्रतियों में तैयार करवाकर इस न्यायालय को दिनांक 01.05.2024 से पूर्व भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। तहसीलदार सांगानेर को कुरेजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन तीन प्रतियों में पेश किये जाने का आदेश पारित किया जिस पर तहसीलदार सांगानेर द्वारा पत्र क्रमांक भु030/कुरेजात/2024/3477 दिनांक 14.05.2024 के संलग्न कुरेजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन प्रतियों में प्रस्तुत की जो शामिल मिसल है।

बहस उपस्थित उभयपक्षकारान अधिवक्ता की बहस कुरेजात रिपोर्ट पर सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में तहसीलदार से प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया है। हमने बहस उभयपक्षकारान अधिवक्ता, पत्रावली व राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट का



अधोपान्त अवलोकन करने व बहस का सगौर मनन करने पर वादी का वाद तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट मुताबिक वाद अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वाके ग्राम श्रीरामपुरा, पटवार हल्का लाखना, भूअभि.नि.क्षेत्र मुहाना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 910 क्षेत्रफल 0.0500 हैक्टेयर, खसरा नंबर 911 क्षेत्रफल 0.7800 हैक्टेयर, खसरा नंबर 987 क्षेत्रफल 0.6300 हैक्टेयर, खसरा नंबर 988 क्षेत्रफल 0.5700 हैक्टेयर व खसरा नंबर 989 क्षेत्रफल 0.1700 हैक्टेयर, कुल खसरा 5 कुल क्षेत्रफल 2.2000 हैक्टेयर का तकासमा मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट अनुसार निम्न प्रकार किया जाता है:-

राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार इन्द्राज						
क्र. सं.	खाता संख्या	खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1	128	राजेश कुमार पुत्र नेपाल मीना हि. 695/756 जाति मीना निवासी शिव सागर कॉलोनी, बी.आई.टी. कॉलेज ग्राम मेण्डला सिस्वावास, जयपुर खातेदार, नाबालिक बिट्टू पुत्री मुकेश संरक्षक सरपरस्त माता खुद हि. 1/108 जाति धानका सा. देह खातेदार, हनुमान पुत्र छोटूराम हि. 1/14 जाति धानका सा.देह खातेदार	910 911 987 988 989	0.0500 0.7800 0.6300 0.5700 0.1700	बारानी1 बारानी1 बारानी1 बारानी1 बारानी1	
		कुल किता	05	2.200	16.520	

प्रस्तावित कुर्रैजात इन्द्राज						
क्र. सं.	किस्म	प्रस्तावित खातेदार	खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा	लगान	रंग
1.	बारानी1 बारानी1 बारानी1 बारानी1 बारानी1	राजेश कुमार पुत्र नेपाल मीना हि. पूर्ण जाति मीना निवासी शिव सागर कॉलोनी, बी.आई.टी. कॉलेज ग्राम मेण्डला सिस्वावास, जयपुर खातेदार	910 911/मि 987 988 989	0.0500 0.6025 0.6300 0.5700 0.1700		
		कुल किता	05	2.0225		
2.	बारानी1	नाबालिक बिट्टू पुत्री मुकेश संरक्षक सरपरस्त माता खुद हि. पूर्ण जाति धानका सा.देह खातेदार	911/मि	0.0204		
		कुल किता	1	0.0204		
3.	बारानी1	हनुमान पुत्र छोटूराम हि. पूर्ण जाति धानका सा.देह खातेदार	911/मि	0.1571		
		कुल किता	1	0.1571		

रजस्व रिकार्ड
जयपुर जिला (म.प्र.)

तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्तानुसार विवादग्रस्त आराजी का तकासमा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग-अलग खाता व लगान कायम किये तथा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्शे की प्रति बाद अनुमोदन उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाने हेतु तहसीलदार सांगानेर को भिजवाई जावे। इसी अनुरूप अन्तिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.05.2024 को खुले न्यायालय में सरे आम सुनाया गया।

(WV)

(हिम्मत सिंह)

उपखण्ड अधिकारी

जयपुर-द्वितीय (सांगानेर),

जयपुर